

अवेदन

श्रीमान लक्ष्मण खण्डाजी महादेव
गंगापूर सिटी

विषय जमाबन्दी खाता संख्या

121

इन्दाज दुरुस्तो संबंधित।

महोदय,

उपरोक्त विषय संबंधित निवेदन है कि ग्राम **सालोडा** की जमाबन्दी संख्या **2068-2071** के खाता संख्या **121** में मेरी जाति ~~ब्राम्हण/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **चमार** वंश है जबकि मेरे सही नाम ~~जाति/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **वैरवा** है। अतः सही नाम ~~जाति/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **वैरवा** में दर्ज करवा कर दुरुस्तो करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 17/15

प्राथी के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

शिवचरण
गवाह के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान

जांच रिपोर्ट (भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हस्ताक्षर)

महोदय,

रिकार्ड जमाबन्दी संख्या **2068-2071** **सालोडा** के खाता संख्या **121** में प्राथी **हरिप्रसाद** पुत्र **शोरभा** ~~ब्राम्हण/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **चमार** वंश में दर्ज है। इसके स्थान पर प्राथी का ~~ब्राम्हण/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **वैरवा** नाम प्रस्तावित ~~ब्राम्हण/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **वैरवा** सही करवाना चाहता है। मैंने इसकी जांच कर ली है, प्रस्तावित ~~ब्राम्हण/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **वैरवा** सही पाई गई अतः प्रस्तावित ~~ब्राम्हण/जाति/हिस्सा/प्रविष्टि~~ **वैरवा** दर्ज किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक मध्य दिनांक

हस्ताक्षर पटवारी मध्य दिनांक

कार्यालय तहसीलदार गंगापूर सिटी कैम्प **मड्डू केला**
दिनांक - भूअ./प्रगार/2015

दिनांक - 10-7-15

मूल ही श्रीमान लक्ष्मण खण्डाजी महादेव गंगापूर सिटी को प्रेषित कर निवेदन है कि प्राथी श्री **हरिप्रसाद** पुत्र श्री **शोरभा** जाति **चमार** निवासी **सालोडा** तहसील गंगापूर सिटी का नाम/जाति/प्रविष्टि **चमार** मुद्रांक रिकार्ड **जमाबन्दी** दर्ज है। जांच रिपोर्ट व आधार पर इसके स्थान पर **वैरवा** दर्ज करने की अनुरोध की जाती है।

दिनांक

हरिप्रसाद
तहसीलदार गंगापूर सिटी

लोक अदालत केम्प... महुकलों

10-7-15 जधी हरिप्रसाद ने ग्राम सालोदा की जमाबंदी सं० 2068-71 में खाता सं० 121 में दर्ज जाति "चमार" के स्थान पर "बैरवा" करने का निवेदन किया गया है। हल्का परिवारी ILR व तहसीलदार गंगापूर सिटी ने भी उक्त खाते में दर्ज जाति "चमार" के स्थान पर "बैरवा" संशोधन करने की रिपोर्ट की है। अतः तहसीलदार गंगापूर सिटी की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम सालोदा की जमाबंदी सं० 2068-71 में खाता सं० 121 में दर्ज जाति चमार के स्थान पर बैरवा करने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार गंगापूर सिटी को लिखा जावे।

उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

केम्प- महुकलों

न्यायालय उपखण्ड, अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प महकलॉ

—:आदेश:—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी महकला भू.अ.नि. गंगापुर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम सालोदा तहसील गंगापुर सिटी व जिला सवाई माधोपुर की जमाबन्दी सम्वत 2068-71 में खाता संख्या 121 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

कं. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकोर्ड में दर्ज की जानी है)
1	सालोदा सालोदा	121	हरिप्रसाद पुत्र भोरया जाति चमार	हरिप्रसाद पुत्र भोरया जाति बैरवा (खाते में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी।)

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी

दिनांक:- 10 जुलाई 2015

क्रमांक:- 952-54

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार गंगापुर सिटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी हरिप्रसाद पुत्र भोरया को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहा.कलेक्टर गंगापुर सिटी